

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ20(101/46)आयों/आकाशि/2019-20/291

दिनांक : 28/07/2020.

आदेश

राजकीय महाविद्यालय, सांगानेर जिला जयपुर में कला संकाय में 02 वर्गों की एवं निम्नलिखित नवीन विषय खोले जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है—

क्र.स.	नवीन राजकीय महाविद्यालय का नाम	विषय
1	2	3
1.	राजकीय महाविद्यालय, सांगानेर जिला जयपुर	हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

rah

संदेश नायक, IAS
निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ20(101/46)आयों/आकाशि/2019-20/292-301

दिनांक : 28/07/2020.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेज कर लेख है कि कृपया नवीन राजकीय महाविद्यालय, सांगानेर जिला जयपुर में खोले गये नवीन विषयों की सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालय में प्रवेश संबंधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
9. प्राचार्य/नोडल, राजकीय महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नवीन राजकीय महाविद्यालय की संबद्धता की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
10. वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)